श्री भजन लाल : इन्होंने कमेटी का जिक्र किया है। जहां तक मैं समझता हूं इस संबंध मे एक कमेटी बनी हुई है और कमेटी को कहेंगे कि शीघ्र अपनी रिपोर्ट दे।

श्री ईश दत्त यादव : मंगलदेव विशारद कमेटी के बारे में क्या स्थिति है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : उन्होंने इसका जवाब दे दिया है।

श्री भजन लाल : हम स्टट गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि वह इसको देखे कि मामला क्या है। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

WAREHOUSING CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL, 1987.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Warehousing Corporations Act, 1962, be taken into considerations."

The Central Warehousing Corporation and sixteen State Warehousing Corporations have been set up so far under the Warehousing Corporations Act, 1962. These corporations acquire and build warehouses at suitable places and also godowns for storage of agricultural produce, fertilizers and certain other items, both agricultural and industrial. Sir, the Warehousing Corporations Act, 1962 extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. At the time of the enactment of the Act in 1962, entry 33 of the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution to which the Act is relatable was not made applicable to the State of Jammu and Kashmir. The entry has since been made applicable to the State of Jammu and Kashmir.

Government considers that the Warehousing Corporations Act should also be extended to the State of Jammu and Kashmir. Extension of the Warehousing Corporations Act, 1962 to the State of Jammu and Kashmir would give that State two benefits. Firstly, the Central Warehousing Corporation which is a Central public sector corporation set up under the said Act, would be able to operate in the State. The second benefit is that the State Government would be able to set up its own State Warehousing Corporation, which Corporation could avail of the 50 per cent equity contribution being made by the Central Warehousing Corporation to the State Warehousing Corporations as per the provisions of this Act. The balance 50 per cent of the equity capital would be provided by the State Government.

The extension of the Act of Jammu and Kashmir would enable growth of warehousing facilities in the State which would help farming community to store their seasonal agricultural produce.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

The question was proposed.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, nobody can have any objection to the extension of this Act to the State of Jammu and Kashmir. We support it. But it does not end here because the way the Warehousing Corporation has been functioning, there is much room to talk about. Warehouses are meant for storage of goods, everybody knows, just as homes are for the human-beings. The warehouses have got a vital role to play in the economy. Besides storage, they facilitate marketing and distribution. Now the question comes as to how far we have been able to achieve these objectives. Originally we had some warehouses in the port towns; other warehouses were run mainly by Central Warehousing Corporation. There are also State-run warehouses. The warehouses which are mainly intended for storing foodgrains are also utilised by industrialists for storage of industrial pro-

ducts. We do not dispute that: it may be necessary and useful also. But what is the share of the farmers in the utilisation of these warehouses? According to reports, the storage capacity utilisation by the farmers is much less than what is occupied by the industrialists.

Then there are substantial losses due to bad storage of grains. The Minister said that it is being extended to Jammu and Kashmir to extend storage facilities to farmers for their foodgrains. But what is the position in other States? We find substantial losses are taking place. In many places, foodgrains are left in the open. They are within the campus of the warehouses, but they are left in the open and not under a covered area. Consequently there are losses. Then it is reported that shortage of funds is another factor for inadequate availability of storage capacity. The newspapers have reported it: I do not have any personal experience. There are large outstanding dues from many public sector undertakings like Jute Corporation the State Trading Corporation, the FCI who are utilising this storage capacity but not making payment properly. As a result of this, the purpose for which the Central Warehousing Corporation has been set up is not served: it is not able to perform its functions properly. I do not know how far it is correct. I do not know whether funds will be made available from the rent that will be collected or there will be a separate provision for this. Otherwise, the mere extension of this Act to Jammu and Kashmir is not going to solve the problem.

Sir, for several years, the Government did not appoint any Chairman to run the Corporation. The Board meetings did not take place regularly. I would like to know from the hon. Minister whether the meetings of the Board are held regularly or not; if so, at what intervals? The question is whether the Board which is entrusted with the running of the Central Warehousing Corporation is doing its job properly or not.

Disquieting reports are coming in from various places. For example, last year in U.P., in one warehouse of the Central Warehousing Corporation in Sultanpur, District Amethi -- I do not know why the report mentions the district— Rs. 30 lakh worth of Soya oil and *daliya* stored there were bungled. The Manager was involved in bungling. It was pointed out by the employees' union. The Deputy Manager Vigilance) visited the place in April, 1987, but did not take any action. How did it happen? The amount may be small but it is significant. If this can happen in one warehouse in one district, where Rs. 30 lakh worth of edible things were bungled, you can imagine what is happening in the other warehouses. Similarly, in Farukhabad and in Bulandshahr also. Rs. 5 to 10 lakh worth of foodgrains and other edibles were bungled but no action has been taken. At least, we do not know about this. (*Time-bell rings*) Sir, just one or two minutes.

In Madhya Pradesh also, in Bhopal, in the case of the Madhya Pradesh Marketing Federation, in a similar situation, seven officers were sued for storing Rs. 10 lakh worth of urea in the open, not keeping it inside the godown. But this matter has not been pursued thereafter. Officers have been sued. But what about the loss which has been incurred because of keeping it in the open? In Jalandhar also, the PUNSUP union has complained that for want of adequate storage facilities, Rs. 6.4 lakh worth of grains were lost last year. This is a very peculiar situation. On the one hand, we want storage space. On the other, we see available storage space being not utilised properly or are being underutilised. We need more warehouses. There is no doubt about it. But there should be proper management of the available storage space, proper arrangement for scientific storage, properly trained personnel etc. But what do we find today? Although enough accommodation is available but because the available storage space is not being utilised properly, in the existing godowns, the Central Warehousing Corporation is going in for private hiring of godowns.

I would like to refer here to what one Mr. Gupta, the Chairman of the CWC,

[Shri Ashis Sen]

said at the Indian Labour Conference some three years ago. He championed the cause of the private sector and said that this should be given to private contractors. Then, what is the need for a public sector undertaking in this area? What is the need for financing a Central Warehousing Corporation under the aegis of the Government? The question arises whether it is the proper way of doing things.

Now, we are extending this Act to Jammu and Kashmir. It is good. But what do the comparative figures for the years 1985 and 1986 show? The number of warehouses has been gradually dwindling. From 2,034, in two years time, the number of warehouses under the control of the Central Warehousing Corporation had gone down to 1,904. Is it that at Central cost, at the cost of the Government, you will leave it for the private people, to be contracted out? Or, is it for the purpose of utilisation by the farmers to store the produce of the soil? When this is the state of affairs where the number of warehouses is gradually dwindling, do you think that mere expansion will solve the problem? First of all, you should properly utilise the existing accommdation and then go in for expansion. There should be effective utilisation of the storage capacity. Foodgrains and fertilisers should not be kept in the open leading to loss of crores and crores worth of grains. I would request the hon. Minsiter to see that the Central Warehousing Corporation functions properly.

श्री सोहन लाल धूसिया (उत्तर प्रदेश): मैं गवर्नमेंट के इस बिल को सपोर्ट करने के लिए खडा हुआ हूं । मैं इसमें यह कहूंगा कि देर आयद दुरुस्त आयद काश्मीर के लिए देर से ही सही लेकिन अच्छा है ।

ये फूड कारपोरेशन्स जो बनते हैं इनसे सचमुच पब्लिक को आराम मिलता है । लेकिन कहीं कहीं पर नहीं आये हैं, अभी मझ यह सुनकर कुछ तकलीफ जरूर हो रही है कि सब जगह नहीं है । होने चाहिए । यहां पर गवर्नमेंट की नीयत पब्लिक के लिए बहुत अच्छी है । लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि खाली नीयत से काम नही बनेगा । जहां पर हमारे सबार्डिनेट्स हैं, आफिसर्स है अगर वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की नीयत के मुताबिक, तो उन पर कुछ सीरियस एक्शन भी लेना चाहिए, ड्रास्टिक एक्शन भी लेना चाहिए ।

गोदामों में जो माल रखा जाता है, खरीदते समय, हम देखते है कि वह अच्छी किस्म का अनाज रखते हैं, अच्छी किस्म की चीजों को रखते है, वहां पर अगर किसानों के गल्ले मे या और किसी चीज में जरा भी कुछ कमी हो गयी तो रिजेक्ट कर देते है उनको फिर से छाटना पड़ता है और छांटकर ले आते है तब रखते है । लेकिन यहां पर एक सवाल आता है कि वही जब राशन की दुकानों में स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है तो वहां पर उसमें कहीं से कूड़ा कबाड़ आ जाता है । यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है । माल तो कहना चाहिए कि अच्छा लिया लेकिन जब राशन की दुकानों में जाने लगा तो कूड़ा कबाड आ गया । स्टेट्स में जब इश्यू होता है सप्लाई आफिस से तो राशन वाला कहता है कि हम परेशान हैं फूड कारपोरेशन वाले ऐसे ही हमको देते है । मैं सरकार से यह जानना चाहूगा कि अनाज तो नम्बर एक का लेते हैं तो वह डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिस में पहुंचते पहुंचते नम्बर दो या तीन का कहां से हो जाता है । डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिस वाले कहते हैं कि हमको सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन वाले ऐसा ही देते हैं, कम तौलते हैं, स्पेशली चीनी के लिए मार्जिन मनी लेते हैं । कोई भी दुकानदार यह नही कहता कि हमको एक्चुअल प्राइस पर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन वाले देते हैं । अगर सरकार यह नही देखेंगी तो कौन देखेगा । हम यह कहेंगे कि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की नीयत बहुत अच्छी है, सरकार की नीयत बहुत अच्छी है लेकिन आपके आफिसर्स इस तरह से कर रहे है जो कि जनता के साथ ज्यादती है तो इसको कौन दूर करेगा । अगर कोई जनता का

आदमी है लिखा पढ़ी करता है तो उसका जवाब नही देते है, न जवाब देंगे न माल ठीक देंगे। मै जानता हू ऐसी हालत है। दो एक जगह वेयर हाउसिंग के लोग मारे गये हैं। मै जानता हूं, और जब मारे गय तो उन्होंने ठीक से देना शुरु किया। हम बस्ती जिले के है। स्टेशन मे थोड़ी ही दूर पर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का गोदाम है। जब वहां से माल निकलता है तो दुकानदार इसलिए परेशान होता है चिल्लाता है कि हमको माल ढंग से नहीं दिया। अक्सर सुनने मे आता है कि चीनी पर जितना पैसा लिया जाना चाहिए उससे ज्यादा होता है, अगर हम नही देते हैं तो कहते हैं कि चीनी हमारे पास नहीं है या चीनी भिगा कर देते है। मंत्री जी मै आपसे कहूंगा कि इस पर बराबर चेकिंग होनी चाहिए। हम यू०पी० वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के कुछ लोगों को जानते है, गोदामों को जानते है, हम समझते है कि 25 परसेंट गोदाम ही ऐसे होंगे जहा पर गबन और बेइमानी नहीं है, 75 परसेंट में है और 74 परसेंट मै कह रहा हूं, आप दिखवा लीजिए। वहां पर चोरी है बेइमानी है। अगर चोरी, बेईमानी की गयी है, माल गायब कर दिया गया है तो एक साल तक उसकी इन्क्वायरी नहीं होगी, एक साल के बाद अगर इन्क्वायरी हुई तो ऐक्शन लेने में इतना लिगर करते हैं कि सब मामला ठण्डा पड़ जाता है। ऐसी हालत मे आपकी सरकार की नीयत के मुताबिक काम नही हो पा रहा है। इसमे गरीबों को तकलीफ है। इसमें सरकार की भी बदनामी है और पब्लिक को भी तकलीफ है इसलिए हम मंत्री जी मे यह कहेंगे कि इस चीज को आप रोकें। दूसरी बात जो मै कहना चाहता हूं, वह यह है कि कितनी मेहनत से अनाज पैदा किया जाता है, लेकिन सेंट्रल वेयर-हाऊसिंग कार्पोरेशन के लोग इसको स्टेशन पर खुले में छोड़ देते है। आप देखें कि बरसात में गेहूं की बोरी फूल करके फट जाती है और अनाज का नुकसान होता है। अब इस अनाज का खराब होना यह तो नेशनल लास है। जो इसका जिम्मेदार है, जो इस तरह से लापरवाही करता है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और एक्शन यह होना चाहिए कि जितने का नुकसान हुआ, उतना उनकी तनख्वाह से काटा जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो इसको रोक नही पायेंगे और अगर ऐसा एक्शन लेंगे, तो यह नुकसान रुक जाएगा, नेशनल लास नहीं होगा। अगर आपको नेशनल लास नहीं करना है, इसे बचाना है, तो आपको ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा। यह छोड़ देना पडेगा कि यह अफसर हमारे यहां का है या हमारा रिश्तेदार है, कौन है कौन नही है। इन दी इंट्रस्ट आफ दी नेशन आपको यह काम करना पड़ेगा क्योंकि सारा झगड़ा अनाज की वजह से होता है।

यहां वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन में अक्सर देखा जाता है कि यहां जो इनकी थर्ड क्लास की और फोर्थ क्लास की यूनियन्स बन गई है, यह सुपर गवर्नमेंट अपने को मानने लग गई है। (घंटी) एक अफसर अगर कुछ एक्शन लेता है तो उस पर आफत आ जाती है। इसमें किसी भी तरह से तीन साल से ज्यादा एक आदमी एक जगह पर रहने न पाये, तो उनकी दादागिरी खत्म हो जाएगी, चोरी खत्म हो जाएगी और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चाहे आप कितना ही हाथ-पैर मारें, आपका कोई काम बनेगा नहीं। सरकार की बदनामी होगी और पब्लिक को तकलीफ होगी।

अंत मे हम आपसे एक प्रार्थना और करेंगे इसको ठीक करने के लिए कि कुछ ऐसे आदमियों को रखिय जो बगैर बताये चैक कर लिया करें और चैक करके फोरन वह आन-दी-स्पाट उस अफसर को और उस अफसर से कनसर्ड लोगों को सस्पेंड कर दे। अगर आप यह काम करना शुरू कर देंगे तो मै जानता हूं कि लाखों-लाखों की चोरी उत्तर प्रदेश के गोदामों से नही होगी लाख से कम की कोई चोरी नही है। छत काट करके, लोग बताते है, गेहूं की बोरियां गायब कर देते है।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा और वह यह है कि वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हरिजनों

[श्री सोहन लाल धूसिया]

के साथ भी न्याय होना चाहिए। यह भी सरकार के यहां है, यह भी हिंदुस्तान के निवासी हैं। अगर दूसरों के साथ न्याय करते हैं, तो इनके साथ भी न्याय होना चाहिए। कम से कम इनको जितनी सरकार की तरफ से सर्विसेज में जगह मिलनी चाहिए वह तो आप दिलवायें। अगर नहीं दिलवाते है तो आखिर क्यों? आप इसको देख लीजिए कि यह बात है कि नहीं? अगर हैं तो जिस अफसर की जिम्मेदारी है, जो रेक्रूटमेंट करता है, अगर वह उतना रेक्रटमेंट नहीं करता है, उस कोर्ट को पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए। उसका इंक्रिमेंट रोकिये और करेक्टर रोल खराब करिये यह आप ही ठीक हो जाएगा, सब ईमानदारी से काम होने लगेगा, लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब मैं कहूंगा कि सरकार नहीं चाहती कि यह दोनों चीजें न आने पायें।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Sir, I may be permitted to speak from this seat. There is nothing much to oppose this Bill or to support this Bill. It is only a technical matter to extend the facility of Central Warehousing Corporation activities to Jammu and Kashmir. But I would like to take this opportunity to add a few words regarding the viability and functioning of the Central Warehousing Corporation. In total, the Central Warehousing Corporation stores about 60 lakh metric tonnes, whether they are foodgrains, fertilizers or something else, whereas the State Warehousing Corporations are storing more than 80 lakh tonnes in different godowns that have been constructed or leased in different parts of the country. But I am sorry to state that in none of these godowns, there is a facility to the farmers to store his produce until he gets a remunerative price, or to pledge the same to get a loan from a bank or any other lending institution. What I would like to suggest is, whether it is the Central Warehousing Corporation or State Warehousing Corporation, it need not be exclusively meant for the non-farming community. A provision may be made that the services may be utilized by the farmers also.

It need not be mentioned that during harvesting, the price of every agricultural output is much less and, during the lean season when the farmer parts with all his produce, the price goes to the sky. Very recently, the price of chillies was as high as Rs. 5,500 per quintal but, during the harvesting season, it was as low as Rs. 600 or Rs. 500 quintal. But the farmer will never have the opportunity to store his produce in these godowns so that he could get some loans from the banks or other financial institutions. Therefore, I would like to advise the Government to see that this facility is provided to the farmers also.

Most of these godowns, whether owned by the Food Corporation of India or the Central Warehousing Corporation are intended only to store less than 20 per cent of the total foodgrains production of this country. The Government feels that they are providing food security to the nation by storing about 20 per cent of the foodgrains produced in the country and they are spending a voluminous amount of more than Rs. 2,200 crores per annum on this. What I would like to suggest to the Government is, they need not spend that much amount on such white elephants of these corporations. They can encourage the farmers by spending at least half of this amount on them. Our enterprising farming community can enhance the production of foodgrains in this country at least by 20 or 22 per cent and, therefore, there will not be any necessity or need for the Government to store these foodgrains or other agricultural produce. Therefore, I would like to appeal to the Government, through you, to see that reasonable benefit is given, through this Corporation, to the farming community also.

Thank you, Sir.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उप सभाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा संशोधन विधेयक है मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि और राज्यों के साथ-साथ यह काश्मीर पर भी लागू होगा। अब तक यह वहां नहीं था तो काश्मीर

के किसानों को इसका फायदा होना चाहिये। इस विधेयक में कहा गया है कि यहां की गवर्नमेंट का भी कुछ इसमें हिस्सा होगा 50 फीसदी और 50 फीसदी सेन्ट्रल गवर्नमेंट का तो यह राज्य सरकारों का और केन्द्र का जहां तक है वह तो सही संबंध है। लेकिन मेरे देखने में यह आया है और जो माननीय पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यह जो सरकार की खरीद का गल्ला है यह वेयरहाउसिंग के गोदामों में ही ज्यादा जमा होता है। किसानों को सीधा जमा करने का चाहे उसकी आलू की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो या जो भी फसलें हों विभिन्न राज्यों में किसान को सीधा जमा करने का अभी तो मेरी जानकारी में कम से कम काम होगा और यू० पी० का तो मुझे मालूम है कि वहां किसानों का नहीं है। यू० पी० गवर्नमेंट जो खरीदगी वह जमा होगा या केन्द्रीय सरकार खरीदेगी तो वह जमा होगा। लेकिन किसान को सीधा जमा करने का भी होना चाहिये। उपसभाध्यक्ष महोदय, वैसे किसान तो इतना बदकिस्मत है कि उसके पास जमा करने के लिये सामान होता ही नहीं है। वह मजबूरी में पहले ही बेच देता है क्योंकि उसे कर्जा देना होता है। जमा करने के लिये कोई बहुत बड़े किसान हों तो हों, लेकिन उन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं हैं। यह सुविधा मंत्री जी दिलवायें तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट गोदाम बने हुए हैं और केन्द्र सरकार के या राज्य सरकार के उनमें थोड़ा सा अंतर है या नहीं उनकी संख्या भी अगर माननीय मंत्री जी बता सकें तो अच्छी बात है। यह व्यक्तिगत कितने हैं और राज्य सरकारों के और केन्द्रीय सरकार के कितने हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिये। साथ ही यह बात सही है कि जहां गोदाम नहीं है जमीन में एक चारदीवारी का तार लगा देते और जो खुले में गल्ले को रखा जाता है प्रायः यह एक परंपरा सी बन गई है कि एक काला सा कपड़ा या कागज होता है उसको ऊपर डाल देंगे क्योंकि खुले गोदाम देखने को मुझे भी प्राप्त हुए है, लेकिन इनकी बजाय अगर पक्के गोदाम बनवाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राज्य सरकारों से बनवाएं या केन्द्रीय सरकार बनाए। कोआपरेटिव सोसाइटी से बनवाएं या किसानों की कोआपरेटिव सोसायटी बना लें उनसे बनवाये लोगों को प्रोत्साहित करके उसमें इनीशियेटिव लेना चाहिय जिससे किसानों को सीधा फायदा हो, यह मेरी मांग है।

बाकी मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। यह उपयोगी और आवश्यक है। जिन राज्यों में नहीं था विशेषकर काश्मीर राज्य में वहां पर भी चालू होगा और इससे वहां के किसानों को, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार सभी को इसका लाभ होगा। इसलिये इस संशोधन का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भंडागारण निगम (संशोधन) विधेयक जो लाया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसमें मुझे कोई विरोध नहीं है। अच्छा है यह संशोधन पहले आना चाहिये था क्योंकि काश्मीर भी इस देश का एक अंग है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य से इन गोदामों की स्थापना की गई, इस निगम की स्थापना की गई, वह उददेश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं और इसलिये पूर नहीं हो पा रहे है क्योंकि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी माननीय आशीष सेन जी बतला रहे थे, उत्तर प्रदेश के बारें में मान्यवर, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर और बहुत से ऐसे जिले है, जहां पर इन गोदामों में बहुत जबरदस्त घपले हुए लाखों लाखों क घपले हुए। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार के नालेज में भी आया होगा और माननीय मंत्री जी की जानकारी में भी यह बात आई होगी। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिये जाते, कोई कार्यवाही नहीं की जाती भ्रष्टाचार को रोकने के लिये। जब कोई कार्यवाही भ्रष्टाचार को रोकने के लिये नही की जाती है तो भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है इस निगम म, इन गोदामों में। इससे भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का हौसला रोज बढ़ता चला जा रहा है।

[श्री ईश दत्त यादव]

हम समझते है कि सरकार के लिये यह बड़े घाटे का सौदा हो गया है। जिस पुनीत उद्देश्य के लिय निगम की स्थापना की गई कि समय से देशवासियों को पर्याप्त गल्ला मिल सके उनके भोजन के लिये, देश में कोई भखा न रह सके, उस उद्देश्य की पूर्ति नही हो पा रही है। एक तो यह घपला किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है और सब ब्लैक में या दूसरे तरीके से बेच दिया जाता है।

दूसरी चीज, मान्यवर, यह है कि गोदाम में अच्छे अनाज जाते है और समय मे जाते है, लेकिन जब क्रेता उसको क्रेय करने जाता है दुकान पर तो सब मिलावटी सामान मिलता है, रद्दी सामान मिलता, सड़ा हुआ सामान मिलता है। इसके लिये मै समझता हूं कि वहा के कर्मचारी और अधिकारी दोषी होते है, जो इसमे मिलावट करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक इसमें सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अनाज खुले मैदान में रखा जाता है, कोई कपड़ा या कोई चीज उस पर ढक दी जाती है बरसात में, गरमी में या दूसरे सीजन में, सीजन की वजह से यह गल्ले का नुकसान होता चला जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मै इस संक्षिप्त विधेयक पर संक्षिप्त समय में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मै यह कहना चाहता हूं कि यहां पर निगम में बहुत घपले हुए हैं। मै पूरे देश की बात नहीं कहना लेकिन उत्तर प्रदेश की बात जानता हूं कि यहा पर रोज कर्मचारी इसमें रखे जाते है और रोज निकाले जाते है। इनकी सेवाओं के बावजूद भी इनका कंफरमेंशन नहीं किया जाता और जब चाहे, जिसको चाहे रख लिया जाता है और जिसको चाहे निकाल दिया जाता है। मान्यवर, जब इस देश मे जनता पार्टी का राज था, उत्तर प्रदेश में भी था तोजनता गवनमेंट ने कुछ अधिकारी और कर्मचारी रखे थे, मेरी जानकारी है कि तीन-तीन चार-चार साल की उनकी सर्विस होने के बाद भी उनकी छंटनी कर दी गई और बिना कोई कारण दिए।

अंत में, मै एक चीज कहना चाहूंगा कि यह निगम बनाने के बावजूद यह गोदाम बनाने के बावजूद आप कुछ नहीं कर सकते अगर इसकी व्यवस्था मे आप सुधार नहीं लाएंगे और देश का उत्पादन बढ़ाने का काम सरकार नही करेगी। किसान आज देश का हतोत्साहित हो रहा है और मान्यवर, इसलिये हतोत्साहित हो रहा है क्योंकि जाड़े मे, गरमी में कड़ा परिश्रम करके उत्पादन करता है, लेकिन उसके उत्पादन का मूल्य सरकार कम निर्धारित करती है। उसका लागत मूल्य 200/- रुपये से ज्यादा आता है और सरकार उसको 170/- रुपये दे रही है। इसलिये किसान आज हतोत्साहित हो रहा है। . . . (**समय की घंटी**) . . .

आपके कारखाने का जो उत्पादन है उसका मूल्य बेतहाशा बढ़ रहा है। इसलिए मान्यवर, मै माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि चाहे आपके विभाग से संबंधित हो या न हो सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करके खेती मे जो पैदावार हो रही है और कारखाने में जो उत्पादन हो रहा है, दोनों के मूल्य मे समानता कराये ताकि किसान का उत्साह बढ़े। उसका जरूरी सामान जो कारखाने में पैदा होता है, सही दाम में मिल सके और किसान के उत्पादन का उसको उचित मूल्य मिल सके, तभी इस देश में इस निगम की स्थापना का लाभ देश को मिल सकेगा और यह निगम कामयाब हो सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): The purpose of this piece of legislation is to extend the facilities in the State of Jammu and Kashmir. So, I support it. But I may be permitted to draw the attention of the Hon. Minister to one or two questions.

First, we have got three agencies in the public sector for storage purpose—the Food Corporation of India, the Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporation. But the main point is that the farmers are not able to utilise these institutions proper-

ly. I think this question was even in the Consultative Committee meetings on one or two occasions. The answer given was that there are cooperative societies to look after the storage facilities. Most of the villages have got cooperative societies and the cooperative societies have got their own storage facilities. Once the hon. Minister—I think it was Mr. Bhagat — promised that he would be implementing the farmers' extension scheme in the Central Warehousing Corporation. As my friend was pointing out, it would have been possible for the farmers to get this facility if that scheme had been implemented, but as far as my knowledge goes that scheme has not so far been implemented. If that is implemented, it would have been of some help to the farmers. Everybody knows that the farmers have to resort to distress sale because at the time of harvest they do not have proper storage facilities. So our Minister should think about it. It was promised in the Consultative Committee meeting that a scheme like the farmers' extension scheme would be implemented through the Central Warehousing Corporation. The second point that I have to raise is about damages. The present storage facilities are not proper As a result there are damages. I do not want to go into the details quoting incidents. You can find so many incidents appearing in newspapers everyday about what is happening in UP, Madhya Pradesh or in other States. It is a serious matter and it requires serious attention by the Government. Second reason for the damages is bad management. Because of these two major reasons so much damage is taking place in so many places for storage.

The third point is that a number of private institutions are coming up like mushrooms. In their operations they do not follow any proper regulations. I am not suggesting you nationalise all these private institutions, but my point is that because of lack of storage facilities in the public sector corporations, they are compelled to approach these private institutions, which are not guided by any of the regulations. As a result of this a big exploitation goes on there. So, I would request the hon. Minister that as early as possible a legislation must be thought of to prevent this type 5.00 P.M. of exploitation. We know that you cannot give cold storage facilities to a large number of farmers in the country. So private sector may have to operate for some more time. There is an urgent need for a legislation on that sphere. This is an exploiting sector and the Government should enter into this field to put an end to this sort of exploitation. I do not want to tell the story as to how they are exploited because this news already appeared in the newspapers. This is very important and the Government should take immediate steps. This is the only suggestion I wanted to make. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Shri Brahm Dutt the Minister of State for Petroleum and Natural gas will make a statement.

STATEMENT BY MINISTER

Fire Incident in Mahul Refinery of Bharat Petroleum Corporation

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): Mr. Vice-Chairman, Sir, a fire occurred at Bharat Petroleum Corporation's Bombay (Mahul) refinery on 9-11-1988 about 12.00 Noon in the loading area of the refinery. The fire spread to the aromatic plant of the refinery. The fire was extinguished in the loading area but the naptha in the storage tanks of the aromatic plant continued to burn. Five tanks in all caught fire.

Forty-six people working mostly in gantry area were injured and were hospitalised. Most of them were contract labourers. While three persons died on the spot, by November 14th the number dead had reached thirty. Now, I may add that the latest figure is thirty-one. The condition of ten is stated to be critical. All